नं. जेड-14014/1/2021-जीसी (ई-3010921)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011,
दिनांक: 14.09.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अगस्त, 2021 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को अगस्त, 2021 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नक: यथोक्त।

अर्जुन राणा

(अर्जुन राणा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
6. सचिव, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
7. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. सचिव, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. सचिव, खान मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।

14. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. सचिव, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. सचिव, व्यय विभाग, नई दिल्ली।
18. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
19. सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
20. सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
22. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी), भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीया राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री) के निजी सचिव।
3. माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा इस्पात) के निजी सचिव।

अगस्त, 2021 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार

भू-नक्शा के साथ स्वामित्व मानचित्रों के एकीकरण और प्रूफ ऑफ कॉनसेप्ट (पीओसी) की समीक्षा करने के लिए सचिव (एलआर) की अध्यक्षता में दिनांक 16.08.2021 को पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

सचिव (एलआर) ने दिनांक 23.08.2021 को मथुरा का दौरा किया और स्वामित्व मानचित्रों के साथ भू-नक्शा के एकीकरण और स्वामित्व कार्ड धारकों को ऋण सुविधाओं / कर्ज की पहुंच से संबंधित वास्विक मुद्दों का आकलन करने के लिए जिला कलेक्टर और राजस्व प्रशासन के अधिकारियों, बैंकों के प्रतिनिधियों और स्वामित्व के लाभार्थियों के साथ विचार-विमर्श किया।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 और राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति, 2007 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने के लिए गठित राष्ट्रीय निगरानी समिति की आठवीं बैठक दिनांक 18 अगस्त, 2021 को सचिव, भूमि संसाधन विभाग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में आंध्र प्रदेश, ओड़िशा और छत्तीसढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) का प्रायोगिक परीक्षण अगस्त, 2021 माह में तमिलनाडु राज्य में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

सचिव (एलआर) ने दिनांक 03.08.2021 को आयोजित बैठक में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीआईएलआरएमपी की समीक्षा की।

डीआईएलआरएमपी पर ईएफसी की दिनांक 10 अगस्त, 2021 को आयोजित इसकी बैठक में, 875 करोड़ रु. की कुल लागत से सभी मौजूदा घटकों और दो अतिरिक्त घटकों अर्थात् **(i)** राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण **(ii)** भूमि अभिलेखों के साथ आधार संख्या को जोड़ना, के साथ डीआईएलआरएमपी के वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष के विस्तार की सिफारिश की गई है।

सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई पर ईएफसी की दिनांक 06.08.2021 को आयोजित इसकी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि हेतु 8134.00 करोड़ रु. (केवल केन्द्रीय हिस्सा) के परिव्यय पर सहमति हुई है।

सचिव (एलआर) ने दिनांक 26.08.2021 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व बैंक टीम के साथ कृषीय समुत्थान हेतु वाटरशेड नवीकरणन (रिवार्ड) की समीक्षा की।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के अधीन अब तक कुल 6382 {(8214 (संस्वीकृत)- 1832 (राज्यों को हस्तांतरित)} परियोजनाओं में से 5105 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। **अभी तक 3523 परियोजनाओं का एंडलाइन मूल्यांकन पूरा हो चुका है।**

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के विभिन्न घटकों की प्रगति (संचयी) की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

i. 600,810 गांवों का भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।
ii. 4,871 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्रीकरण का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।
iii. 11,015,033 भूकर मानचित्रों/एफएमबी/टिप्पनों का डिजिटलीकरण पूरा किया गया।
iv. 3,971 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों का भूमि अभिलेखों के साथ एकीकरण पूरा किया गया।
v. 2,500 तहसीलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना पूरी की गई।

*****